आर०टी०आई० एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पंजी०)

द्वारा

प्रचार एवं प्रसारित

निःशुल्क

पंजीकृत कार्यालय:
40-ए, गौतम नगर, दिल्ली- 49
फोन: 0122-234299, 9412123450,
0931073377, 9997419595

आर0टी0आई0 एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

जनता से अनुरोध

सूचना का अधिकार (2005) सत्ता को जनता को वापस लौटाना शासन में भागीदारी किसी भी सफल लोकतन्त्र का मूल मंत्र है भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का असली मालिक होता है, मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक है कि जो शासन उसकी सेवा के लिये बनाया गया है वह कहाँ, कैसे क्यों-क्या किया जा रहा है। जनता को यह जानने का हक 1976 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद (19) के अंतर्गत सूचना अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया था। राष्ट्रीय संसद ने 11 मई 2005 को पारित विधेयक संख्यांक 107 सी के द्वारा अंधेरी कोठरी में झांकने का अवसर आम जनता को दिया था। नागरिक सूचना मांगेंगे सरकार किस प्रकार जवाबदेय होगी इसी क्रम में आर0टी0आई0 एसोसिएशन ऑफ इण्डिया पंजीकृत बनी जिसके द्वारा सूचना मांगने वालों को मौलिक अधिकारों सहित उत्पीड़न से सुरक्षा सामाजिक न्याय की स्थापना एवं भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए संकल्प लिया गया सूचना अधिकार के उपयोग करने वालों का हमारा यह संगठन उस भ्रष्ट सोच व मक्कीर को उजागर करने का प्रयत्न करता है जो भ्रष्ट व्यवस्था से राष्ट्र को खोखला करने पर अमादा है। तो आप हम सब मिलकर इस न्याय युद्ध में कर्म युद्ध राष्ट्रीय युद्ध और भ्रष्टाचार मुक्ति युद्ध में अपना त्याग बलिदान कर भ्रष्टाचार मुक्ति संग्राम को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाकर राष्ट्र के प्रति अपना धर्म अदा करें।

अभिवादन के साथ आपका

मंगत सिंह त्यागी

(राष्ट्रीय अध्यक्ष)

मुख्य जानकारी

सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जो विभिन्न अधिकारों तथा दायित्व के अस्तित्व में आता है। वे ये हैं-

1. हर व्यक्ति की सरकार-बल्कि कुछ मामलों में निजी संस्थाओं तक से सूचना मांगने का अधिकार।

2. सरकार को निवेदित सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कर्त्तव्य बशर्ते उन सूचनाओं को सार्वजनिक न करने वाली सूचनाओं की श्रेणी में न रखा गया है।

3. नागरिकों द्वारा निवेदन के बिना ही सामान्य जनहित की सूचनाओं को स्वयं अपनी पहल पर सार्वजनिक करने का सरकार का कर्त्तव्य है।

भारतीय संविधान विशेष रूप से सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं करता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में काफी पहले इसे एक ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी थी। जो लोक तान्त्रित कार्य संचालन के लिए जरूरी है। विशिष्ट रूप से कहे तो सर्वोच्च न्यायालय में सूचना के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11(1) (ए) द्वारा गारंटी प्राप्त बोलने व अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंग और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी प्राप्त जीवन के अधिकार के एक आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है।

सूचना तक पहुँच बनाने का अधिकार वस्तुत: इस तथ्य को दर्शाता है कि सूचनाऐं जनता की धरोहर होती है न कि उस सरकारी संस्था की जिसके पास ये मौजूद होती है। सूचना पर किसी विभाग या तत्कालीन सरकार का स्वामित्व नही होता। सूचनाओं को जनसेवकों द्वारा जनता का पैसे एकत्रित किया जाता है। उनके लिए सार्वजनिक कोष से पैसा अदा किया जाता है और उन्हें जनता के लिए उनकी धरोहर के रूप में सम्भालकर रखा जाता है। इस अर्थ है कि आपको सरकारी कार्यवाहियों, निर्णयों, नीतियों प्रक्रियाओं और यहाँ तक कि कुछ मामलों में निजि संस्थाओं व व्यक्तियों के पास उपलब्ध सूचनाऐं मांगने/पाने का अधिकार है।

सूचना का अधिकार एक असीम अधिकार नहीं है। जहाँ सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, वहां कुछ सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है, उदाहरण के लिए युद्ध के दौरान सैनिकों की तैनाती आने वाले सालों में कर की दरों में बढ़ोत्तरी या कटौती से सम्बन्धित जानकारी तब तक नहीं बताई जानी चाहिए जब तक ऐसे खुलासो का फायदा गलत तत्वों को होने की सम्भावना रहें। इसके बावजूद मुख्य सवाल हमेशा एक ही रहेगा। क्या सूचना को सार्वजनिक हित में उजागर करना जनहित में है या उसे गुप्त रखना।

अत: आप हम एव मिलकर सूचना अधिकार 2005 में की गई व्यवस्थानुसार एक्टिवेटरों द्वारा आर0आर0टी0एसो0 ऑफ इण्डिया पंजी0 में अपनी भागीदारी कर राष्ट्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए सुनिश्चित करें।

सधन्यावाद।

के0सी0 आर्या
(राष्ट्रीय महासचिव)

आर0टी0आई0 एसोशिऐशन ऑफ इण्डिया (पंजी0) के मूल उद्देश्य

1. प्रदेश में कार्यरत सभी आर0टी0आई0 से जुडे संगठनों एवं व्यक्तियों के मध्य समन्वय करते हुये सभी को एक सूत्र में पिरोना।
2. प्रदेश में आर0टी0आई0 का प्रचार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सरकार द्वारा आम जनता एवं सभी सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों एवं अधिकारियों को सूचना कानून के बारे में जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करवाना।
3. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा सूचना कानून के मद में आवंटित बजट का पूर्णरूपेण सही प्रयोग करवाते हुये राज्य में प्रचार प्रसार का कार्य करवाना।
4. प्रदेश में किसी भी आर0टी0आई0 कार्यकर्ता के उत्पीड़न के खिलाफ सशक्त आवाज उठाते हुए उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान करवाना एवं उत्पीडनकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना एवं करवाना।
5. सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना अधिकार कानून के सही अनुपालन की समय पर निगरानी रखना।
6. सभी लोक प्राधिकरण द्वारा धारा 4 जो कि इस कानून की मेरूदंड है को लागू करवाना, समय-समय पर उनकी वेब साईट की निगरानी करते हुए इसे अपडेट करवाना, इसके अनुपालन हेतु एक स्थायी कमेटी का गठन करना।
7. राज्य सूचना आयोग, राज्य प्रशासनिक सुधार अनुभाग, केन्द्रीय कार्मिक विभाग से समन्वय बनाते हुए राज्य में सूचना कानून को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना।
8. समय-समय पर राज्य एवं केन्द्रीय सूचना आयोग से समन्वय करते हुए आयोग के कार्यप्रणाली में सुधार हेतु प्रयास करना।
9. राज्य एवं केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेशों का सही ढंग से अनुपाल करवाना एवं जहाँ दण्ड आरोपित किया गया है उनकी निगरानी करते हुए दण्डित अधिकारियों की पंजिका में उपयुक्त प्रविष्टि कराना।
10. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे MNREGA, PDS, BPL families आदि की सोशल आडिट करते हुए उन पर निगरानी रखना।
11. राज्य सभी जिलों एक समन्वय/कमिटी का गठन कर उपरोक्त सभी उद्देश्य एवं कार्यक्रम को जिले स्तर तक लागू करवाना।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। (15 जून, 2005 को इसके कानून बनाने के 120वें दिन) भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है। इस नियम के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकार्डों और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू एवं काश्मीर में यह जम्मू एवं काश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लागू है।

सूचना का अधिकार क्या है?

संविधान के अनुच्छे 19(1) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक भाग है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने व अभिव्यक्ति का अधिकार है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने ''राज नारायण विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार'' मामले में कहा है कि लोग कह और अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि वो न जानें। इसी कारण सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में छुपा है। इसी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भारत एक लोकतंत्र है। लोग मालिक हैं। इसलिए लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारें जो उनकी सेवा के लिए हैं, क्या कर रहीं है? व प्रत्येक नागरिक कर/टैक्स देता है। यहाँ तक कि एक गली में भीख मांगने वाला भिखारी भी टैक्स देता है जब वो बाजार से साबुन खरीदता है। (ब्रिकी कर, उत्पादन शुल्क आदि के रूप में) नागरिकों के पास इस प्रकार का जानने का अधिकार है कि उनका धन किस प्रकार खर्च हो रहा है। इन तीन सिद्धांतों को सर्वोच्च न्यायालय ने रख कि सूचना का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा हैं।

यदि आरटीआई एक मौलिक अधिकार है, तो हमें यह अधिकार देने के लिए एक कानून की आवश्यकता क्यों हैं?

ऐसी इसलिए है क्योंकि यदि आप किसी सरकारी विभाग में जाकर किसी अधिकारी से कहते हैं, ''आरटीआई मेरा मौलिक अधिकार है, और में इस देश का मालिक हूँ। इसलिए मुझे आप कृपया अपनी फाइलें दिखाइये'', वह ऐसा नहीं करेगा। व संभवत: वह आपको अपने कमरे से निकाल देगा। इसलिए हमें एक ऐसा तंत्र या प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसके तहत हम अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकें। सूचना का अधिकार 2005, जो 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ हमें वह तंत्र प्रदान करता है। इस प्रकार सूचना का अधिकार हमें कोई नया अधिकार नहीं देता। यह केवल उस प्रक्रिया का उल्लेख करता है कि हम कैसे सूचना मांगे, कहाँ से मांगे, कितना शुक्ल दें आदि।

सूचना का अधिकार कब लागू हुआ?

केन्द्रीय सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। हालांकि 9 राज्य सरकारें पहले ही राज्य कानून पारित कर चुकी थी। ये थी:- जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और गोवा।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कौन से अधिकार आते हैं?

सूचना का अधिकार 2005 प्रत्येक नागरिक को शक्ति प्रदान करता है कि वो–

- सरकार से कुछ भी पूछे या कोई भी सूचना मांगे।
- किसी भी सरकारी निर्णय की प्रति ले।
- किसी भी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करे।
- किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षरण करे।
- किसी भी सरकारी कार्य के पदार्थों के नमूने ले।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत कौन से अधिकार आते हैं?

केन्द्रीय कानून जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त पूरे देश पर लागू होता है। सभी इकाइयां जो संविधान या अन्य कानून या किसी सरकारी अधिसूचना के अधीन बनी हैं या सभी इकाइयां जिनमें गैर सरकारी संगठन शमिल हैं जो सरकार के हों, सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त–पोषित किये जाते हों।

''वित्त पोषित'' क्या हैं?

इसकी परिभाषा न ही सूचना का अधिकार कानून और न ही किसी अन्य कानून में दी गयी है। इसलिए यह मुद्दा समय के साथ शायद किसी न्यायालय के आदेश द्वारा ही सुलझ जायेगा।

क्या निजी इकाइयां सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आती है?

सभी निजी इकाइयां, जोकि सरकार की हैं, सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्त–पेषित की जाती हैं सीधे ही इसके अन्तर्गत आती हैं। अन्य अप्रत्यक्ष रूप से इसके अन्तर्गत आती हैं अर्थात्, यदि कोई सरकारी विभाग किसी निजी इकाई से किसी अन्य कानून के तहत सूचना ले सकता हो तो वह सूचना कोई नागरिक सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उस सरकारी विभाग से ले सकता है।

क्या सरकारी दस्तावेज गोपनीयता कानून 1923 सूचना के अधिकार में बाधा नहीं है?

नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 22 के अनुसार सूचना का अधिकार कानून सभी मौजूदा कानूनों का स्थान ले लेगा।

क्या पीआईओ सूचना देने से मना कर सकता है?

एक पीआईओ सूचना देने से मना उन 11 विषयों के लिए कर सकता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 8 में दिए गए हैं। इनमें विदेशी सरकारों से प्रापत गोपनीय सूचना, देश की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों की दृष्टि से हानिकारक सूचना, विधायिका के विशेषधिकारों का उल्लंघन करने वाली सूचनाएं आदि। सूचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उन 18 अभिकरणों की सूची दी गयी है जिन पर ये लागू नही होता। हालांकि उन्हें भी वो सूचनाएं देनी होगी जो भ्रष्टाचार के आरोपों व मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित हों।

क्या अधिनियम विभक्त सूचना के लिए कहता है?

हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम के दसवें अनुभाग के अंतर्गत दस्तावेज के उस भाग तक पहुँच बनायी जा सकती है जिनमें वे सूचनाएं नहीं होती जो इस अधिनियम के तहत भेद प्रकाशन से अलग रखी गयी हैं।

क्या फाइलों की टिप्पणियों तक पहुँच से मना किया जा सकता है?

नहीं, फाइलों की टिप्पणियां सरकारी फाइल का अभिन्न अंग हैं व इस अधिनियम के तहत भेद प्रकाशन की विषय वस्तु हैं, ऐसे केंद्रीयसूचना आयोग ने 31 जनवरी 2006 के अपने एक आदेश में स्पष्ट कर दिया है।

मुझे सूचना कौन देगा?

एक या अधिक अधिकारियों को प्रत्येक सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) का पद दिया गया है। ये जन सूचना अधिकारी प्रधान अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। आपको अपनी अर्जी इनके पास दाखिल करनी होती हे। यह उनका उत्तरदायित्व होता है कि वे उस विभाग के विभिन्न भागों से आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी इकट्ठा करें वे आपको प्रदान करें। इसके अलावा, कई अधिकारियों को सहायक जन सूचना अधिकारी के पद पर सेवायोजित किया गया है। उनका कार्य केवल जनता से अर्जियां स्वीकारना व पीआईओ के पास भेजना है।

अपनी अर्जी मैं कहाँ जमा करूँ?

आप ऐसा पीईओ या एपीआईओ के पास कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के विभागों के मामलों में, 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है। अर्थात् आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई पटेल पर अपनी अर्जी व फीस जमा करा सकते हैं। वे आपको एक रसीद व आभार जारी करेंगे और यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वो उसे उचित पीआईओ के पस भेजे।

क्या इसके लिए कोई फीस है? मैं इसे कैसे जमा करूँ?

हाँ, एक अर्जी फीस होती है। केन्द्र सरकार के विभागों के लिए यह 10रू0 है। हालांकि विभिन्न राज्यों ने भिन्न फीसें रखी है। सूचना पाने के लिए आपको 2रू0 प्रति सूना पृष्ठ केन्द्र सरकार के विभागों के लिए देना होता है। यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग है। इसी प्रकार दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए भी फिस का प्रावधान है। निरीक्षण के पहले घंटे की कोई फीस नहीं है लेकिन उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे या उसके भाग की 5रू0 प्रतिघंटा फीस होगी। यह केन्द्रीय कानून के अनुसार है। प्रत्येक राज्य के लिए, सम्बंधित राज्य के नियम देखें। आप फीस नकद में, डीडी या बैंकर चैक या पोस्टल ऑर्ड जो उस जन प्राधिकरण के पक्ष में देय हो द्वारा जमा कर सकते हैं। कुछ राज्यों में, आप कोर्ट फीस टिकटें खरीद सकते हैं व अपनी अर्जी पर चिपका सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी फिस जमा मानी जायेगी। आप तब अपनी अर्जी स्वयं या डाक से जमा करा सकते हैं।

मुझे क्या करना चाहिए यदि पीआईओ या सम्बंधित विभाग मेरी अर्जी स्वीकार न करें?

आप इसे डाक द्वारा भेद सकते हैं। आप इसकी औपचारिक शिकायत सम्बन्धित सूचना आयोग को भी अनुच्छेद 18 के तहत करें। सूचना आयुक्त को उस अधिकारी पर 25000रू0 दंड लगाने का अधिकारी है जिसने आपकी अर्जी स्वीकार करने से मना किया था।

क्या सूचना पाने के लिए अर्जी का कोई प्रारूप है?

केन्द्र सरकार के विभागों के लिए, कोई प्रारूप नहीं है। आपको एक सादा कागज पर एक सामान्य अर्जी की तरह ही अर्जी देने चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों और कुछ मंत्रालयों-व विभागों ने प्रारूप निर्धारित किये हैं। आपको इन प्रारूपों पर ही अर्जी देनी चाहिए। कृपया जानने के लिए सम्बन्धित राज्य के नियम पढ़े।

मैं सूचना के लिए कैसे अर्जी दूं?

एक साधारण कागज पर अपनी अर्जी बनाएं और इसे पीआईओ के पास स्वयं या डाक द्वारा जमा करें। (अपनी अर्जी की एक प्रति अपने पास निजी सन्दर्भ के लिए अवश्य रखें)

मैं अपनी अर्जी की फीस कैसे दे सकता हूँ?

प्रत्येक राज्य का अर्जी फीस जमा करने का अलग तरीका है। साधारणतया, आप अपनी अर्जी की फीस ऐसे दे सकते हैं:-

- **स्वयं नकद भुगतान द्वारा (अपनी रसीद लेना न भूलें)**
- **डाक द्वारा:**
  - डिमांड ड्राफ्ट से
  - भारतीय पोस्टल आर्डर से
  - मनी आर्डर से (केवल कुछ राज्यों में)
  - कोर्ट फीस टिकट से (केवल कुछ राज्यों में)
  - बैंकर चैक से

कुछ राज्य सरकारों ने कुछ खाते निर्धारित किये हैं। आपको अपनी फीस इन खातों में जमा करानी होती है। इसके लिए, आप एसबीआई की किसी शाखा में जा सकते हैं और राशि उस खाते में जमा करा सकते हैं और जमा रसीद अपनी आरटीआई अर्जी के साथ लगा सकते है या आप अपनी आरटीआई अर्जी के साथ उस विभाग के पक्ष में देय डीडी या एक पोस्टल आर्डर भी लगा सकते हैं।

क्या मैं अपनी अर्जी केवल पीआईओ के पास ही जमा कर सकता हूँ?

नहीं, पीआईओ के उपलब्ध न होने की स्थिति में आप अपनी अर्जी एपीआईओ या अन्य किसी अर्जी लेने के लिए नियुक्त अधिकारी के पास अर्जी जमा कर सकते हैं।

क्या करूँ यदि मैं अपने पीआईओ या एपीआईओ का पता न लगा पाऊँ?

यदि आपको पीआईओ या एपीआईओ का पता लगाने में कठिनाई होती है तो आप अपनी अर्जी पीआईओ सी/ओ0 विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर उस सम्बंधित जन प्राधिकरण को भेज सकते हैं। विभागाध्यक्ष को वह अर्जी सम्बन्धित पीआईओ के पास भेजनी होगी।

क्या मुझे अर्जी देने स्व्यं जाना होगा?

आपके राज्य के फीस जमा करने के नियमानुसार आप अपनी अर्जी सम्बंधित राज्य के विभाग में अर्जी के साथ डीडी, मनी आर्डर, पोस्टल आर्डर या कोर्ट फीस टिकट संलग्न करके डाक द्वारा भेज सकते हैं। केन्द्र सरकार के विभागों के मामलों में, 629 डाकघरों को एपीआईओ बनाया गया है। अर्थात् आप इन डाकघरों में से किसी एक में जाकर आरटीआई पटल पर अपनी अर्जी व फीस जमा करा सकते हैं। वे आपको एक रसीद व आभारी जारी करेंगे और यह उस डाकघर का उत्तरदायित्व है कि वो उसे उचित पीआईओ के पास भेजे।

क्या सूचना प्राप्ति की कोई समय सीमा है?

हाँ, यदि आपने अर्जी पीआईओ को दी है, आपको 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आपने अपनी अर्जी सहायक पीआईओ को दी है तो सूचना 35 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। उन मामलों में जहाँ सूचना किसी एकल के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हो, सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध हो जानी चाहिए।

क्या मुझे कारण बताना होगा कि मुझे फलां सूचना क्यों चाहिए?

बिल्कुल नहीं, आपको कोई कारण या अन्य सूचना केवल अपने संपर्क विवरण (जो हैं नाम, पता, फोन नं0) के अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 6(2) स्पष्ट: कहता है कि प्रार्थी से संपर्क विवरण के अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जायेगा।

क्या पीआईओ मेरी आरटीआई अर्जी लेने से मना कर सकता है?

नहीं, पीआईओ आपकी आरटीआई अर्जी लेने से किसी भी परिस्थिति में मना नहीं कर सकता, चाहें वह सूचना उसके विभाग/कार्यक्षेत्र में न आती हो, उसे वह स्वीकार करनी होगी। यदि अर्जी उस पीआईओ से सम्बंधित न हो, उसे वह उपयुक्त पीआईओ के पास 5 दिनों के भीतर अनुच्छेद 6(2) के तहत भेजनी होगी।

इस देश में कई अच्छे कानून हैं लेकिन उनमें से कोई कानून कुछ नहीं कर सका। आप कैसे सोचते हैं कि ये कानून करेगा?

यह कानून पहले ही कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कोई कानून किसी अधिकारी की अकर्मण्यता के प्रति जवाबदेही निर्धारित करता है। यदि सम्बंधित अधिकारी समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, उस पर 250रू0 प्रतिदिन के हिसाब से सूचना आयुक्त द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि दी गयी सूचना गलत है तो अधिकतम 25000रू0 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना आपकी अर्जी गलत कारणों से नकारने या गलत सूचना देने पर भी लगाया जा सकता है। यह जुर्माना उस अधिकारी के निजी वेतन से काटा जाता है।

क्या अब तक कोई जुर्माना लगाया गया है?

हाँ, कुछ अधिकारियों पर केन्द्रीय व राज्यीय सूचना आयुक्तों द्वारा जुर्माना लगाया जाता है।

क्या पीआईओ पर लगे जुर्माने की राशि प्रार्थी को दी जाती है,

नहीं, जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा हो जाती है। हालांकि अनुच्छेद 19 के तहत, प्रार्थी मुआवजा मांग सकता है।

मैं क्या कर सकता हूँ यदि मुझे सूचना न मिले?

यदि आपको सूचना न मिले या आप प्राप्त सूचना से संतुष्ट न हों, आप अपीलीय अधिकारी के पास सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर कर सकते हैं।

पहला अपीलीय अधिकारी कौन होता है?

प्रत्येक जन प्राधिकरण को एक पहला अपीलीय अधिकारी बनाना होता है। यह बनाया गया अधिकारी पीआईओ से वरिष्ठ रैंक का होता है।

क्या प्रथम अपील का कोई प्रारूप होता है?

नहीं, प्रथम अपील का कोई प्रारूप नहीं होता (लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने प्रारूप जारी किये हैं) एक सादा पन्ने पर प्रथम अपीली अधिकारी को संबोधित करते हुए अपनी अपीली अर्जी बनाएं। इस अर्जी के साथ अपनी मूल अर्जी व पीआईओ से प्राप्त जैसे भी उत्तर (यदि प्राप्त हुआ हो) को प्रतियाँ लगाना न भूलें।

क्या मुझे प्रथम अपील की कोई फीस देनी होगी?

नहीं, आपको प्रथम अपील की कोई फीस नहीं देनी होगी, कुछ राज्य सरकारों ने फीस का प्रावधान किया है।

कितने दिनों में मैं अपनी प्रथम अपील दायर कर सकता हूँ?

आप अपनी प्रथम अपील सूचना प्राप्ति के 30 दिनों व आरटीआई अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर दायर कर सकते हैं।

क्या करें यदि प्रथम अपीली प्रक्रिया के बाद मुझे सूचना न मिले?

यदि आपको प्रथम अपील के बाद भी सूचना न मिले तो आप द्वितीय अपीली चरण तक अपना मामला ले जा सकते हैं। आप प्रथम अपील सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर व आरटीआई अर्जी के 60 दिनों के भीतर (यदि कोई सूचना न मिला हो) दायर कर सकते हैं।

द्वितीय अपील क्या हैं?

द्वितीय अपील आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अंतिम विकल्प है, आप द्वितीय अपील सूचना आयोग के पास दायर कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के विभागों के विरूद्ध आपके पास केन्द्रीय सूचना आयोग है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य सूचना आयोग हैं।

क्या द्वितीय अपील के लिए कोई प्रारूप है?

नहीं, द्वितीय अपील के लिए कोई प्रारूप नहीं है (लेकिन राज्य सरकारों ने द्वितीय अपील के लिए भी प्रारूप निर्धारित किए हैं)। एक सादा पन्ने पर केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग को संबंधित करते हुए अपनी अपीली अर्जी बनाए। द्वितीय अपील दायर करने से पूर्व अपीली नियम ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आपकी द्वितीय अपील निरस्त की जा सकती है यदि वह अपीली नियमों को पूरा नहीं करती है।

क्या मुझे द्वितीय अपील के लिए फीस देनी होगी?

नहीं, आपको द्वितीय अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, हालांकि कुछ राज्यों ने इसके लिए फीस निर्धारित की है।

मैं कितने दिनों में द्वितीय अपील दायर कर सकता हूँ?

आप प्रथम अपील के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर या उस तारीख के 90 दिनों के भीतर कि जब तक आपकी प्रथम अपील निष्पादित होनी थी, द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

यह कानून कैसे मेरे कार्य पूरे होने में मेरी सहायता करता है?

यक कानून कैसे रूके हुए कार्य पूरे होने में सहायता करता है अर्थात् वह अधिकारी क्यों अब वह आपका रूका कार्य करता है जो वह पहले नहीं कर रहा था?

आइए नन्नू का मामला लेते हैं, उसे राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा था। नन्नू ने क्या पूछा?

उसने निम्न प्रश्न पूछे:-

1. मैने एक डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए 27 फरवरी 2004 को अर्जी दी। कृपया मुझे मेरी अर्जी पर हुई दैनिक उन्नति बताएं अर्थात् मेरी अर्जी किस अधिकारी पर कब पहुँची, उस अधिकारी पर यह कितने समय रही उसने उतने समय क्या किया?
2. नियमों के अनुसार, मेरा कार्ड 10 दिनों के भीतर बन जाना चाहिए था। हालांकि अब तीन माह से अधिक का समय हो गया है। कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताएं जिनसे आशा की जाती है कि वे मेरी अर्जी पर कार्रवाई करते व जिन्होंने ऐसा नहीं किया?
3. इन अधिकारियों के विरूद्ध अपना कार्य न करने व जनता के शोषण के लिए क्या कार्रवाई की जायेगी? वह कार्रवाही कब तक की जायेगी?
4. अब मुझे कब तक अपना कार्ड मिल जायेग?

साधारण परिस्थितियों में, ऐसी एक अर्जी कूड़ेदान में फेंक दी जाती। लेकिन यह कानून कहता है कि सरकार को 30 दिनों में जवाब देना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, उसने वेतन से कटौती की जा सकती है। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं होगा।

पहला प्रश्न है- कृपया मुझे मेरी अर्जी पर हुई दैनिक उन्नति बताएं।

कोई उन्नति हुई ही नहीं है, लेकिन सरकारी अधिकारी यह इन शब्दों में लिख ही नहीं सकते कि उन्होंने कई महीनों से कोई कार्रवाई नहीं की है, वरन् यह कागज पर गलती स्वीकारने जैसा होगा।

अगल प्रश्न- कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताएं जिनसे आशा की जाती है कि वे मेरी अर्जी पर कार्रवाई करते व जिन्होंने ऐसा नहीं किया।

यदि सरकार उन अधिकारियों के नाम व पद बताती है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाता है। एक अधिकारी अपने विरूद्ध इस प्रकार कोई उत्तरदायित्व निर्धारित होने के प्रति काफी सतर्क होता है। इस प्रकार, जब कोई इस तरह अपनी अर्जी देता है, उसका रूका कार्य संपन्न हो जाता है।

मुझे सूचना प्राप्ति के पश्चात् क्या करना चाहिए?

इसके लिए कोई एक उत्तर नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि अपने यह सूचना क्यों मांगी व यह किस प्रकार की सूचना है। प्राय: सूचना पूछने भर से ही कई वस्तुएं रास्ते में आने लगती हैं। उदाहरण के लिए केवल अपनी अर्जी की स्थिति पूछने भर से आपको अपना पासपोर्ट या राशन कार्ड मिल जाता है। कई मामलों में, सड़कों की मरम्मत हो जाती है जैसे ही पिछली कुछ मरम्मतों पर खर्च हुई राशि के बारे में पूछ जाता है। इस तरह सरकार से सूचना मांगना व प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण चरण है, जो अपने आप में कई मामलों में पूर्ण है।

लेकिन मानिये यदि अपने आरटीआई से किसी भ्रष्टाचार या गलत कार्य का पर्दाफाश किया है, आप सतर्कता एजेंसियों, सीबीआई को शिकायत कर सकते हैं या एफआईआर भी करा सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि सरकार दोषी के विरूद्ध बारम्बार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाही नहीं करती। यद्यपि कोई भी सतर्कता एजेंसियों पर शिकायत की स्थिति आरटीआई के तहत पूछकर दबाव अवश्य बना सकता है। हालांकि गलत कार्यों का पर्दाफाश मीडिया के जरिए भी किया जाता सकता है। हालांकि दोषियों को दंड देने का अनुभव अधिक उत्साहजनक है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस प्रकार सूचनाएं मांगना और गलत कामों का पर्दाफाश करना भविष्य को संवारता है। अधिकारियों को स्पष्ट सन्देश मिलता है कि उस क्षेत्र के लोग अधिक सावधान हो गए हैं और भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती पूर्व की भांति छुपी नहीं रहेगी। इसीलिए उनके पकड़े जाने का जोखिम बढ़ जाता है।

क्या लोगों को निशाना बनाया गया है जिन्होंने आरटीआई का प्रयोग किया व भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया ?

हाँ, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें लोगों को शारीरिक हानि पहुँचाई गयी जब उन्होंने भ्रष्टाचार का बड़े पैमाने पर पर्दाफाश किया। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रार्थी को हमेशा ऐसा भय झेलना होगा। अपनी शिकायत की स्थिति या अन्य समरूपी मामलों की जानकारी लेने के लिए अर्जी लगाने का अर्थ प्रतिकार निमंत्रित करना नहीं है। ऐसा तभी होता है जब सूचना नौकरशाह-ठेकेदार गठजोड़ या किसी प्रकार के माफिया का पर्दाफाश कर सकती हो कि प्रतिकार की सम्भावना हो।

तब मैं आरटीआई का प्रयोग क्यों करूँ?

पूरा तंत्र इतना सड-गल चुका है कि यदि हम सभी अकेले या मिलकर अपना प्रयत्न नहीं करेंगे, यह कभी नहीं, सुधरेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? हमें करना है। लेकिन हमें, ऐसा रणनीति से व जोखिम को हम करके करना होगा व अनुभव से, कुछ रणनीतियां व सुरक्षाएं उपलब्ध है।

ये रणनीतियां क्या है?

कृपया आगे बढ़ें और किसी भी मुद्दे के लिए आरटीआई अर्जी दाखिल करें। साधारणतया, कोई आपके ऊपर एकदम हमला नहीं करेगा। पहले वे आपकी खुशामद करेंगे या आपको जीतेंगे। तो आप जैसे ही कोई असुविधाजनक अर्जी दाखिल करते हैं, कोई आपके पास बड़ी विनम्रता के साथ उस अर्जी को वापिस लेने की विनती करने आएगा। आपको उस व्यक्ति की गंभीरता और स्थिति का अंदाजा लगा लेना चाहिए। यदि आप इसे कॉफी गंभीर मानते हैं, अपने 15 मित्रों को भी तुरंत उसी जन प्राधिकरण में उसी सूचना के लिए अर्जी देने के लिए कहें। बेहतर होगा यदि ये 15 मित्र भारत के विभिन्न भागों से हों, अब, आपके देश भर के 15 मित्रों को डराना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। यदि वे 15 में से किसी एक को भी डराते हैं, तो और लोगों से भी आर्जिया दाखिल कराएं। आपके मित्र भारत के अन्य हिस्सों से अर्जियां डाक से भेज सकते हैं। इसे मीडिया में व्यापार प्रचार दिलाने की कोशिश करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको वांछित जानकारी मिलेगी व आप जोखिमों को कम कर सकेंगे।

क्या लोग जन सेवकों को भयादोहन नहीं करेंगे?

आईए हम स्वयं से पूछें- आरटीआई तथा करता है? यह केवल जनता में सच लेकर आता है। यह कोई सूचना उत्पन्न नहीं करता। यह केवल पर्दे हटाता है व सच जनता के सामने लाता है। क्या वह गलत है? इसका दुरूपयोग कब किया जा सकता है? केवल यदि किसी अधिकारी ने कुछ गलत किया हो और यदि यह सूचना जनता में बाहर आ जाये। क्या यह गलत है कि यदि सरकार में की जाने वाली गललियाँ जनता में आ जाएं व कागजों में छिपाने की बजाय इनका पर्दाफाश हो सके। हाँ, एक बार ऐसी सूचना किसी को मिल जाए तो वह जा सकता है व अधिकारी को ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन हम गलत अधिकारियों को क्यों बचाना चाहते हैं? यदि किसी अन्य को ब्लैकमेल किया जाता है, उसके पास भारतीय दंड संहिता के तहत ब्लैकमेलर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के विकल्प मौजूद हैं। उस अधिकारी को वह करने दीजिये। हालांकि हम किसी अधिकारी को किसी ब्लैकमेल कर पायेगा जब केवल वही उस सूचना को ले पायेगा व उसे सार्वजानिक करने की धमकी देगा। लेकिन यदि उसके द्वारा मांगी गयी सूचना वेबसाइट पर डाल दी जाये तो ब्लैकमेल करने की सम्भावना कम हो जाती है।

क्या सरकार के पास आरटीआई अर्जियों की बाढ़ नहीं आ जायेगी और यह सरकारी तंत्र को जमा नहीं कर देगी?

ये डर काल्पिक हैं 65 से अधिक देशों में आरटीआई कानून हैं। संसद में पारित किए

जाने से पूर्व भारत में भी 9 राज्यों में आरटीआई कानून थे। इन में से किसी सरकार में आरटीआई अर्जियों की बाढ़ नहीं आई। ऐसे डर इस कल्पना से बनते हैं कि लोगों के पास करने को कुछ नहीं है व वे बिलकुल खाली हैं। आरटीआई अर्जी डालने व ध्यान रखने में समय लगता है, मेहनत व संसाधन लगते है।

आईये कुछ आंकड़े लें, दिल्ली में 60 से अधिक महीनों में 120 विभागों में 14000 अर्जियां दाखिल हुई। इसका अर्थ हुआ कि 2 से कम अर्जियां प्रति विभाग प्रति माह। क्या हम कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार में आरटीआई अर्जियों की बाढ़ नहीं आ गई? तेज रोशनी में, यूएस सरकार को 2003-4 के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत 3.2 मिलियन अर्जियां प्राप्त हुई। यह उस तथ्य के बावजूद है कि भारत से उलट, यूएस सरकार की अधिकतर सूचनाएं लेट पर उपलब्ध हैं और लोगों को अर्जियां दाखिल करने की कम आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन यूएस सरकार आरटीआई अधिनियम को समाप्त करने का विचार नहीं कर रही। इसके उल्ट वे अधिकाधिक संसाधनों को इसे लागू करनें में जुटा रहे हैं। इसी वर्ष, उन्होंने 32 मिलियन यूएस डॉलर इसके क्रियान्वयन में खर्च किये।

क्या आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन में अत्यधिक संसाधन खर्च नहीं होंगे?

आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन में खर्च किये गए संसाधन सही खर्च होंगे। यूएस जैसे अधिकांश देशों ने यह पाया है कि वे अपनी सरकारों का पारदर्शी बनाने पर अत्यधिक संसाधन खर्च कर रहे हैं। पहला, आरटीआइ पर खर्च लागत उसी वर्ष पुन: उस धन से प्राप्त हो जाती है जो सरकार भ्रष्टाचार व गलत कार्यों में कमी से बचा लेती हैं। उदाहरण के लिए, इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि कैसे आरटलीआई के वृहद् प्रयोग से राजस्थान के सूख राहत कार्यक्रम और दिल्ली की जन वितरण प्रणाली की अनियमिताएं कम हो पायीं।

दूसरा, आरटीआई लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। जनता की सरकार में भागीदारी से पहले जरूरी है कि वे पहले जानें कि क्या हो रहा है। इसलिए, जिस प्रकार हम संसद के चलने पर होने वाले खर्च को आवश्यक मानते हैं, आरटीआई पर होने वाले खर्च को भी जरूरी माना जाये।

लेकिन प्राय: लोग निजी मामले सुलझाने के लिए अर्जियां देते है?

जैसे कि ऊपर दिया गया है, यह केवल जनता में सच लेकर आता है। यह कोई सूचना उत्पन्न नहीं करता। सच छुपाने या उस पर पर्दा डालने का कोई प्रयास समाज के उत्तम हित में नहीं हो सकता। किसी लाभदायक उद्देश्य की प्राप्ति से अधिक गोपनीयता को बढ़ावा देना भ्रष्टाचार और गलत कामों को बढावा देगा। इसलिए, हमारे सभी प्रयास सरकार को पूर्णत: पारदर्शी बनाने के होने चाहिए। हालांकि, यदि कोई किसी को ब्लैकमेल करता है, तो कानून में इससे निपटने के प्रचुर प्रावधान हैं।

दूसरा, आरटीआई अधिनियम के अनुच्छेद 8 के तहत कई बचाव भी हैं। यह कहता है कि कोई सूचना जो किसी के निजी मामलों से सम्बंधित है व इसका जनहित से कोई लेना-देना नहीं है को प्रकट नहीं किया जायेगा। इसलिए, मौजूदा कानूनों में लोगों के वास्तविक उद्देश्यों से निपटने के पर्याप्त प्रावधान हैं।

लोगों को ओछी/तुच्द अर्जियां दाखिल करने से कैसे बचाया जाए?

कोई अर्जी ओछी/तुच्छ नहीं होती। ओछा/तुच्छ क्या है? मेरा पानी का रूका हुआ कनेक्शन मेरे लिए सबसे संकटपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक नौकरशाह के लिए यह औछा/तुच्छ हो सकता है। नौकरशाही में निहित कुछ स्वार्थों ने इस ओछी/तुच्छ अर्जियों के दलदल को बढ़ाया है। वर्तमान में, आरटीआई अधिनियम किसी भी अर्जी को इस आधार पर निरस्त करने की इजाजत नहीं देता कि वो ओछी/तुच्छ थी। यदि ऐसा हो, प्रत्येक पीआईओ हर दूसरी अर्जी को ओछी/तुच्छ बताकर निरस्त कर देगा। यह आरटीआई के लिए मृत समाधि के समान होगा।

फाइल टिप्पणियां सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह ईमानदार अधिकारियों को ईमानदार सलाह देने से रोकेगा?

यह गलत है। इसके उलट, हर अधिकारी को अब यह पता होगा कि जो कुछ भी वो लिखता है वह जन-समीक्षा का विषय हो सकता है। यह उस पर उत्तम जनहित में लिखने का दबाव बनाएगा। कुछ ईमानदार नौकरशाहों ने अलग से स्वीकारा है कि आरटीआई ने उनकी राजनीतिक व अन्य प्रभावों को दरकिनार करने में बहुत सहायता की है। अब अधिकारी सीधे तौर पर कहते हैं कि यदि उन्होंने कुछ गलत किया जो उनका पर्दाफाश हो जायेगा यदि किसी ने उसी सूचना के बारे में पूछ लिया। इसलिए, अधिकारियों ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि वरिष्ठ अधिकारी लिखित में, निर्देश दें। सरकार ने भी इस पर मनन करना प्रारंभ कर दिया है कि फाइल टिप्पणियां आरटीआई अधिनियम की सीमा से हटा दी जाएँ। उपरोक्त कारणों से, यह नितांत आवश्यक है कि फाइल टिप्पणियां आरटीआई अधिनियम की सीमा में रहें।

जन सेवक को निर्णय कई दबावों में लेने होते हैं व जनता इसे नहीं समझेगी?

जैसा ऊपर बताया गया है, इसके उलट, इससे कई अवैध दबावों को कम किया जा सकता है।

सरकारी रिकॉर्ड्स सही आकार में नहीं है। आरटीआई को कैसे लागू किया जाए?

आरटीआई तंत्र को अब रिकॉर्डस सही आकार में रखने का दबाव डालेगा, वरन अधिकारी को अधिनियम के तहत दंड भुगतान होगा।

विशाल जानकारी मांगने वाली अर्जियां रद्द कर देनी चाहिए?

यदि मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ, जो एक लाख पृष्ठों में आती है। मैं ऐसा तभी करूँगा जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि मुझे उसके लिए 2 लाख रूपयों का भुगतान करना होगा। यह एक स्वत: ही हतोत्साह करने वाला है। यदि अर्जी इस आधार पर रद्द कर दी गयी, तो प्रार्थी इसे

तोड़कर प्रत्येक अर्जी में 100 पृष्ठ मांगते हुए 1000 अर्जियां बना लेगा, जिससे किसी का भी लाभ नहीं होगा। इसलिए, इस कारण अर्जियां रद्द नहीं होनी चाहिए कि:-

''लोगों को केवल अपने बारे में सूचना मांगने दी जानी चाहिए। उन्हें सरकार के अन्य मामलों के बारे में प्रश्न पूछने की छूट नहीं दी जानी चाहिए'' पूर्णत: इससे असंबंधित है:-

आरटीआई अधिनियम का अनुच्छेद 6(2) स्पष्टत: कहता है कि प्रार्थी से यह नहीं पूछा जा सकता कि क्यों वह कोई जानकारी मांग रहा है। किसी भी मामले में, आरटीआई इस तथ्य से उद्धत होता है कि लोग टैक्स/ कर देते हैं। यह उनका पैसा है और इसीलिए उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कैसे खर्च हो रहा है व कैसे उनकी सरकार चल रही है। इसलिए लोगों को सरकार के प्रत्येक कार्य की प्रत्येक बात जानने का अधिकार है। वे उस मामले से सीधे तौर पर जुड़े हो या न हों। इसलिए, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कोई भी सूचना मांग सकता है चाहे वह तमिलनाडु की हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. आप सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण (सरकारी संगठन या सरकारी प्राप्त गैर सरकारी संगठनों) से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
2. आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया होना चाहिए। आवेद प्रपत्र भारत विकास प्रवेशद्वार पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन अंग्रेजी, हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में तैयार होना चाहिए।
4. अपने आवेदन में निम्न सूचनाएँ दे:

(i) सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी का नाम व उसका कार्यालय पता।
(ii) विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन।
(iii) सूचना का ब्यौरा, जिसे आप लोग प्राधिकरण से प्राप्त करना चाहते हैं
(iv) आवेदनकर्ता का नाम
(v) पिता/पति का नाम
(vi) वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति
(vii) आवेदन शुल्क
(viii) क्या आप गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से आते हैं-हाँ/नहीं
(ix) मोबाइल नंबर व ई-मेल का पता (मोबाइल तथा ई-मेल पता देना अनिवार्य नहीं)
(x) पत्राचार हेतु डाक पता
(xi) स्थान तथा तिथि
(xii) आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

(xiii) संलग्नकों की सूची

5. आवेदन जमा करने से पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, शुल्क उसके भुगतान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें।

6. सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क भुगतान का भी प्रावधान है। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को शुल्क नहीं जमा करने की छूट प्राप्त है।

7. जो व्यक्ति में छूट पाना चाहते हों उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी।

8. आवेदन हाथो-हाथ द्वारा या ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

9. यदि आप आवेदन डाक द्वारा भेज रहे हैं तो उसके लिए केवल पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक सेवा का ही इस्तेमाल करें। कोरियर सेवा का प्रयो कभी न करें।

10. आवेदन ई-मेल से भेजने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज का स्कैन कॉपी अटैच का भेज सकते हैं। लेकिन शुल्क जमा करने के लिए आपको संबंधित लोक प्राधिकरण के कार्यालय जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान करने की तिथि से ही सूचना आपूर्ति के समय की गणना की जाती है।

11. आगे उपयोग के लिए आवेदन पत्र (अर्थात् मुख्य आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्क का प्रमाण, स्वयं या डाक द्वारा जमा किये गये आवेदन की पावती) की 2 फोटोप्रति बनाएं और उसे सुरक्षित रखें।

12. यदि अपना आवेदन स्वयं लोक प्रधिकारी के कार्यालय जाकर जमा करे रहे हों, तो कार्यालय से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें जिस पर प्राप्ति की तिथि तथा मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हों। यदि आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज रहे हों तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे संभाल कर रखे।

13. सूचना आपूर्ति के समय की गणना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि से आरंभ होता है।

याद रखने योग्य बातें

क्र0 सं0	स्थिति	सूचना आपूर्ति की समय-सीमा
1.	सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति	30 दिन
2.	जब सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हों, तब सूचना की आपूर्ति	48 घंटे
3.	जब आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के जरिय प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में सूचना की आपूर्ति	उपर्युक्त दोनों स्थितियों में 05 दिन का समय और जोड़ दिये जाएंगे।

मानव अधिकार की संकल्पना में सूचना का अधिकार उतम स्त्रोत है इस की अवधारणा को सर्व प्रथम स्वीडन ने जन्म दिया इसके पश्चात अनेक राष्ट्रों ने उसका महत्व समझकर अपनाया है आज नार्वे-फिनलैंड डेनमार्क अमेरिका-नीदर लैन्ड आस्ट्रिया इंलैण्ड आदि में सूचना के अधिकार को अपनाया गया। आज हम सब मिलकर कारगर रूप से भ्रष्टाचार की मृत्यु हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संगठन आर0टी0आई ऑफ इन्डिया में शामिल होकर सूचना के अधिकार के संग्राम को अधार देने का सहयोग करें।

सुभाष पाल (आर0टी0 आई कार्यकर्त्ता)
राष्ट्रीय सदस्य-प्रचार प्रभारी संगठन
आर0टी0आई एशोसिएशन

प्रशासन की पार दर्शिता एवं भ्रष्टाचार निवारण के लिये आर0टी0 आई एशोसिऐशन ऑफ इन्डिया के संगठन में अग्रणी बनकर राष्ट्र न्याप्त भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिये शामिल होकर भ्रष्टाचारी दानव को समूल नष्ट कर अपना अदा करने में योगदान आज के समय की पुकार है।

सोनू यादव (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता
राष्ट्रीय कार्य सचिव
12-7-11 (ऑफ इन्डिया)
90- ऐ- गौतम नगर, दिल्ली

सरकार और उसकी गतिविधियाँ हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी में अहम भूमिका निभाती है राशन कार्ड, शिक्षा चिकित्सा- पानी-सड़क- राजस्व बिजली तथा अन्य सरकारी योजनाएँ सिर्फ कागजो पर बनकर रह जाती है इस के लिये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की शक्ति का इस्तेमाल कर अँधेरी गली में उजाला ला सकते है आर0टी0आई0 एशो0 ऑफ इन्डिया संगठन इस के लिये व्यापक प्रचार प्रसार कर देश प्रदेश व जिला स्तर सगठन में राष्ट्र के लिये भ्रष्टाचार मुक्ति संग्राम में अपना योगदान देने का कष्ट करे।

सुरेन्द्र सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता)
आर0टी0आई0 एशोसिएशन ऑफ इन्डिया
राष्ट्रीय
मो0 9719661896
0122-2345021

शासन - प्रशासन की गतिविधियाँ हमारी प्रतिदिन की जिन्दगी में अहम भूमिका निभाती है जिस पर निगरानी रखने के लिये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में आर0टी0 आई एशोसिएशन ऑफ इन्डिया में भारत की भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करने में प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की प्रति सकंल्प है।

आपका सूचना का कार्यकर्ता

बालेश्वर उर्फ मोनू आर्य

प्रदेश कार्यालय सचिव

आर0टी0आई0 एशोसिएशन ऑफ इन्डिया

3-75 विकान नगर लखनऊ (उ0प्र0)

सच्चे अर्थो में अच्छा लोकतन्त्र वही है जो लोगों की भावना का सम्मान करे भारत में कहने को लोकतंत्र है परन्तु प्रशासनिक ढाँचा अभी तक उपनिवेशिक पद्धति पर ही चल रहा है आजादी से पूर्व में अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि प्रशासनिक कार्यवाही की भनक आम जनता को पड़े इस कानून से प्रशासन बेड़ियाँ ढीली पड़ गयी है जवाब देई बढ़ गयी है भ्रष्टाचार के विरूद्ध युद्ध ऐसा ही रूप ले रहा है जैसा अंग्रेजों के विरूद्ध किया गया था। आर0टी0 आई एशोसिएशन ऑफ इन्डिया राष्ट्र में इस महासंग्राम में भ्रष्टाचार से भारत को मुक्ती दिलाने में आपकी भी सहयोगिता अत्यंत आवश्यक है।

आपका सूचना अधिकार कार्यकर्ता
मुनी शंकर पंडित
राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभारी
आर0टी0आई एशोसिएशन ऑफ इन्डिया

राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति संग्राम समय की पुकार है आप इस में सम्मलित होकर अपने राष्ट्र धर्म को अदा करिये जिसके लिये जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आर0टी0आई0 एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का गठन किया गया है तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध सूचना के अधिकार का प्रयोग व्यापक रूप से करने के लिए संगठन में आप सभी का आमंत्रण है।

आपका सूचना अधिकार कार्यकर्ता

नरेशचंद पंडित

राष्ट्रीय प्रभारी अनुशासन

आर0टी0आई एशोसिएशन ऑफ इन्डिया

लोक जीवन को भ्रष्टाचार का अजगर डस ले उस राष्ट्र के लिये इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है संसद सरकार–संविधान न्यायियक व्यवस्थाओ का स्वत: ही बेअसर हो जाना स्वाभाविक है राष्ट्र विषम परिस्थिति में आम नागरिक बिगडती कानून व्यवस्था व महंगाई व भ्रष्टाचार से त्रस्त है ऐसी अवस्था में राष्ट्र की प्राथमिकता में भ्रष्टाचार का खात्मा करना आवश्यक है। गौतमबुद्ध नगर दिल्ली से सटा हुआ जनपद तीन तहसील राजस्व ग्रामों में समाहित है जिसमे देश के नामी गिरामी निवास के स्थल से सुशोभित है उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों में गौतमबुद्ध नगर में नोएडा व ग्रेटर नोएडा का विशेष स्थान है परन्तु भ्रष्टाचार में अग्रणी रूप से कायम है प्रदेश के नेतृत्व आर0टी0 आई एसोसिएशन ऑफ इन्डिया ने जनपद का प्रभार मुझे देकर यहाँ के भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का दायित्व दिया है आप सब जनपद में भ्रष्टाचार मुक्ति युद्ध में शामिल होने पर संगठन आपका आदर करता है।

देवेन्द्र यादव
जिला अध्यक्ष गौतमबुद्ध नगर
कार्यालय– ग्राउन्ड फ्लोर, बी–22, बी श्रीजी पैलेस
सैक्टर–27, नोएडा (अट्टा), गौतमबुद्धनगर
मो0 9650854433, 8860405483

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है इस व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है अत: मालिक होने के नाते उसे यह जानने का हक है सरकार उसकी सेवा के लिये बनाई गयी है वह कहाँ-कहाँ कैसे कार्य कर रही है नागरिक सरकार को चलाने के लिये टैक्स देता है इसलिये नागरिको का यह हक उनका पैसा कहा खर्च किया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 19 में वार्णित सूचना के अधिकार का मौलिक अधिकार घोषित किया 2005 में देश की ससंद ने यह कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार 2005 के नाम से जाना जाता है। आप भी इस अभियान से जुड़िये तथा सूचना के अधिकार के प्रचार प्रसार एवं लोगों की सहायता हेतु आर0टी0आई0 एशोसिएशन ऑफ इन्डिया (पंजी) का गठन किया गया है जो व्यापक रूप (सौ राष्ट्र में प्रचार प्रसार का भ्रष्टाचार मुक्ति युद्ध में शामिल होने के लिए (राष्ट्र के लिये) आमन्त्रित करती है।

मनीष कुमार
प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश)
3/75, विकास नगर लखनऊ

पंकज यादव
प्रदेश अध्यक्ष (दिल्ली प्रदेश)
प्रदेश कार्यालय:
ए-161, जी0डी0 कालोनी, मयूर विहार
ए-3, दिल्ली- 96

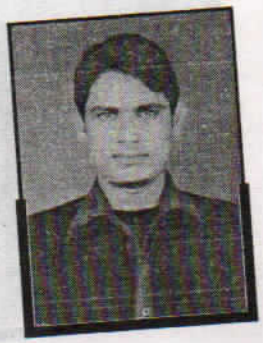

लोक तान्त्रिक शासन व्यवस्था में शासन की बागड़ोर जनता के हाथ में होती है। सरकार को जनता के हितों की ध्यान में रखकर कार्य करना पड़ता है और जनता को यह जानने का हक होता है कि सरकार जनता के पैसों का किस दिशा में खर्च कर रही है इन सब बातों को जानने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी संगठन आर0टी0आई0 में शामिल होकर जन जागरूकता फैलाये। इसके लिए इस संगठन को व्यापक रूप में आपकी सहायता आवश्यक है।

राजेन्द्र शर्मा (आर0टी0 आई कार्यकर्त्ता)
जिला सचिव हापुड़
वैशाील कालोनी, मेरठ रोड, हापुड़
मो0 7417630532, 7599431943

देश के आर्थिक विकास के लिए भ्रष्टाचार को मिटाना आवश्यक हो गया है। भ्रष्टाचार देश में दीमक की तरह खाये जा रहा है। आज हम सब मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठित संगठन आर0टी0आई0 ऑफ इण्डिया में शामिल होकर भ्रष्टाचार रूपी दानव को जड़ से उखाड़ फेकने में योगदान करें।

श्रीमती बबली (आर0टी0 आई कार्यकर्त्ता)
जिला अध्यक्ष हापुड़
मो0 9837365586

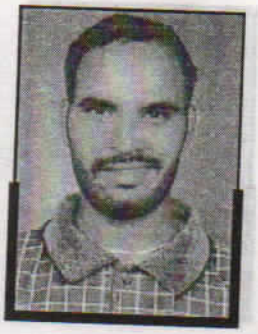

प्रशासन पर नज़र रखने तथा भ्रष्टाचार के निवारण के लिए आर0टी0आई0 एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के संगठन में शामिल हो कर भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दे और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस संगठन में शामिल होकर सूचना के अधिकार के संग्राम को आधार देने का सहयोग दें।

सतेन्द्र (सत्ते) आर0टी0 आई कार्यकर्त्ता
तहसील अध्यक्ष हापुड़
म0नं0 बी.-254, के.के. डेयरी,
आवास विकास कालोनी, मेरठ रोड
मो0 9758623239

राष्ट्र गीत

वन्दे मातरम्
सुजलाम् सुफलाम्, मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्
वन्दे मातरम्।।
शुभ्र ज्योत्सना, पुलकित यामिनीम्।
प्रफुल्ल कुसुमित, द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम्, सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम, वरदाम, मातरम्।
वन्दे मातरम्।

राष्ट्र गान (श्री रविन्द्रनाथ टैगोर)

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा
द्राविड, उत्कल, बंग।
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल, जलधि तंरग।
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष माँगे।
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,।
जय हे, जय हे, जय हे।
जय हे, जय हे, जय हे।।
जय, जय, जय, जय हे।

आर0टी0आई0 लोकतन्त्र के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। आर0टी0आई0 जनता में सच लेकर आता है। यह कोई सूचना उत्पन्न नहीं करता, यह पर्दे हटाता है व सच जनता के सामने लाता है। आज 65 से अधिक देशों में आर0टी0आई0 कानून है। संसद में पारित किए जाने से पूर्व भारत में भी 9 राज्यों में आर0टी0आई0 कानून थे। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार होते देखता है तो तुरन्त आर0टी0आई0 के तहत उस कार्यालय से सूचना मांगे और जनता के सामने भ्रष्टाचार का उजाकर करें। हमारे सभी प्रयास सरकार को पूर्णतः पारदर्शी बनाने के होने चाहिए। अतः आपसे अनुरोध है कि आप सभी आज से भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लें। धन्यवाद्

ज्ञानेन्द्र आर्य
(प्रदेश अध्यक्ष) उत्तराखंड
सुभाष नगर, देहरादून, उत्तराखंड

गणेश पांडे (एडवोकेट)
सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद
कार्यालय: टी0टी0 नगर भोपाल (मध्य प्रदेश)

प्रकाशन के सभी अधिकार आर.टी.आई
राष्ट्रीय कार्यकारणी के आधीन
सुरक्षित है